लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारी:—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
ा नम्बर:—247/2018 प्रार्थना पत्र
मुन्नादेवी पत्नि बंशीलाल असावा, उम्र बालिग, निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
थान) ———प्रार्थिया

बनाम

कन्हैयालाल पिता देवा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
नारायणलाल पिता छोगा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ति मांगी पुत्री छोगा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ति नानी पुत्री छोगा कुम्हार, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
सुवालाल पिता गोकल गाडरी, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
किशन पिता गोकल गाडरी, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
रामलाल पिता गोकल गाडरी, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांक:—6.2.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू— अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार पुरा भू—अभिलेख निरीक्षक पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 6741 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण ा आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह ने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया ाना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 8.10.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल ा किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 8 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1 से 8 को कितनी ही वेधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 4.2.2019 को फा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

:: आ दे श ::

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक पुर तहसील व जिला वाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 9647/6741 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि की जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भिलेख निरीक्षक, पुर को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा लना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 4.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner